

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 21/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 09 मई, 2019

सा.का.नि. (अ). जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7303 00 30 या 7303 00 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी, दिनांक 04 सितम्बर, 2013, जिसे दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस विषयगत माल पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 से प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहाँ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 12368/2018 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अक्टूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1012 (अ), दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के तहत सनसैट रिव्यू जांच शुरू की थी;

और जहाँ कि उक्त सनसैट रिव्यू जांच के पूरा हो जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों को जारी किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने उक्त निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और आगे जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी;

और जहाँ मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के द्वारा अधिसूचना सं. 18/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल, 2019 को सा.का.नि. 299(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 के उपखण्ड (i) में अधिसूचित करके विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 मई, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जहाँ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 03 मई, 2019 को दिए गए निर्णय में आदेश दिया है कि:

“न्यायालय द्वारा यह उचित पाया गया है कि प्राधिकरण को अधिसूचना जारी करके प्रतिपाटन शुल्क को दिनांक 09/05/2019 से अगले 45 दिनों के लिये बढ़ाया जाये, जिससे दोनों पक्षों के पास इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये उचित समय प्राप्त हो और इस मामले में निर्णय आने के बाद आगे की राह तय की जा सके, इसके अतिरिक्त भी, मूल समयावधि जो कि एक वर्ष थी, जिससे प्रतिपाटन शुल्क को 08/10/2019 तक की अवधि के लिये जारी रखा जा सके, इस प्रकार, समयावधि में यह बढ़ोतरी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात नहीं करती है।”

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 03 मई, 2019 को आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में अंक, अक्षर और शब्द “09 मई, 2019” के स्थान पर “23 जून, 2019” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(फाइल संख्या 354/3/2007-टीआरयू (पार्ट. I))

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2019, सा.का.नि. 299 (अ.), दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।